फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

लिग प्रकरण संख्या 10/89 (नया कानून) सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली बनाम हिम्मतसिंह पुत्र शिवनाथसिंह राजपूत नि खुडाला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
17-8-2019	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में न्यायालय की आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई एव पत्रावली उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर हैं कि दिनांक 29.02.1989 को प्रकरण गैर सायल के विरूद्व संस्थापित किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस फौत होने की रिपोर्ट के साथ प्राप्त होने तथा उसके पुत्र देवेन्द्रसिंह, जसवीरसिंह, राजेन्द्रसिंह पि0 हिम्मतसिंह उदयपुर निवासरत होने से तहसीलदार, बाली से गैर सायल स्वयं एवं उसके परिवारजनो द्वारा दिनांक 1.1.1973 को धारित भूमि का विवरण न्यायालय आदेश दिनांक 24.12.1992 से तलब किया गया। प्रकरण के चलते गैर सायलान की मृत्यु होने से उनके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये जाने के लिये पत्रावली लंबित रही। तहसीलदार, बाली ने न्यायालय आदेश की पालना में अपने कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/ 19/ 2292 दिनांक 31.07.2019 से रिपोर्ट पेश की। जिस रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया कि गैर सायल हिम्मतसिंह के विरूद्व माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर(सिलिंग) पाली के न्यायालय में प्रकरण संख्या 105/2001 अनवान सरकार बनाम हिम्मतसिंह वगैरा चला, जिस प्रकरण का निर्णय दिनांक 14.12.2004 को होकर एसेसी हिम्मतसिंह एवं उनके परिवार के सदस्यों की खातेदारी भूमि मेंसे 1266 बीघा भूमि अधिग्रहण के आदेश पारित किये गये। जिस आदेश की पालना में ग्राम खुडाला के नामान्तरकरण संख्या 508 के द्वारा 202.84 हैक्टर भूमि अधिग्रहित की जा चुकी हैं। तथा अधिकार अभिलेखों में राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज हैं। माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग) पाली ने अपने निर्णय दिनांक 14.12.2004 में स्पष्ट किया है कि उपखण्ड अधिकारी बाली के निर्णय की पालना में अगर कोई भूमि का अधिग्रहण किया जाना पाया जाता है तो उस भूमि का समायोजन किया जावे। इस प्रकार तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल स्वयं एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा धारित भूमि मेंसे 202.84 हैक्टर भूमि माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सिलिंग) पाली के निर्णय से अधिग्रहित की जा चुकी है एवं अब किसी प्रकार की सिलिंग सीमा से अधिक भूमि गैर सायल के नाम एवं उसके परिवार के सदस्यों के नाम नहीं रहतीहै। जिससे प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप की जाती हैं। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned by CamScanner